न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00146

लक्ष्मीचन्द वारिस रामसुख आत्मज धन्ना लाल जाति नायक निवासी कचोलिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. रामविलास आत्मज हीरा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. रणजीत सिंह आत्मज रामविलास ।
   1/2. मानसिंह आत्मज रामविलास ।
   1/3. विलियन सिंह आत्मज रामविलास ।
   1/4. भीमसिंह आत्मज रामविलास ।
   1/5. रूकमणी बाई बेवा रामविलास ।
   1/6. पिंकी पुत्री रामविलास जाति नायक निवासी ग्राम कचोलिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. रामप्यारी पुत्री हीरा जी ।
3. ललिता पुत्री हीरा जी ।
4. छीतर लाल आत्मज धन्ना जी ।
5. रमेश चन्द आत्मज धन्ना जी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   5/1. रामलाल आत्मज रमेश चन्द ।
6. नट्टी पुत्री धन्ना जी ।
7. रूकमणी पुत्री धन्ना जी ।
8. शान्ति पुत्री धन्ना जी जाति नायक निवासी कचोलिया तहसील दीगोद जिला कोटा।
9. ज्योति पत्नी रमेश चन्द जाति मेघवाल निवासी गंगायचा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री ओम प्रजापति, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 से 3 की ओर से ।
3. श्री रमेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 6 व 7 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 12.10.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.02.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कचोलिया तहसील दीगोद में कुल 02 किता की रकबा 1.98 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी व अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 8 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी कम 4 लगायत 8 का 1/2 व अप्रार्थी कम 1 लगायत 3 का 1/2 हिस्सा दर्ज है । इसी प्रकार ग्राम तोरण तहसील दीगोद में कुल 03 किता की रकबा 2.46 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 लगायत 9 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है । उक्त भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी कम 4 का 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी कम 1 लगायत 3 का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी कम 09 का 1/3 हिस्सा दर्ज है । पूर्व में उक्त भूमि प्रार्थी के दादा गणेश के खाते दर्ज थी । गणेश जी की मृत्यु के बाद उनके तीनों पुत्र हीरा, धन्ना व रामसुख के नाम 1/3–1/3 हिस्से से दर्ज हुई । रामसुख के पुत्र संतान नहीं होने के कारण रामसुख ने अपने भाई धन्ना के लडके लक्ष्मीचन्द प्रार्थी को अपने पास रखा और प्रार्थी ने ही रामसुख जी की सेवा–सुश्रूषा की तथा उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थी ने ही उनका कियाकर्म किया तथा रामसुख की पगडी प्रार्थी के बांधी गई और प्रार्थी को ही उनका वारिस घोषित किया गया । प्रार्थी रामसुख जी की मृत्यु के बाद उनके 1/3 हिस्से पर काबिज क़ाश्त चला आ रहा है । रामसुख जी की मृत्यु के बाद अप्रार्थी कम 09 द्वारा रामसुख जी का इंतकाल लाऔलाद में खोलकर उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटा दिया गया और उक्त भूमि धन्ना व हीरा के नाम दर्ज की गई जो बाद में उनकी मृत्यु के बाद 1/2 – 1/2 हिस्से से दर्ज की गई जो गलत है । वास्तविक रूप से अप्रार्थी कम 1 लगायत 3 का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी कम 4 लगायत 8 का 1/3 हिस्सा व प्रार्थी का 1/3 हिस्सा बना । इस कारण ग्राम कचोलिया में प्रार्थी को 1/3 हिस्से का अप्रार्थी कम 1 लगायत 3 को 1/3 हिस्से का व अप्रार्थी कम 04 लगायत 8 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे । इसी प्रकार ग्राम तोरण में प्रार्थी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे । अप्रार्थी कम 5 लगायत 8 द्वारा बेची गई भूमि का अप्रार्थी कम 09 को खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है । राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामसुख के स्थान पर दर्ज नहीं होने के कारण अप्रार्थी कम 1 लगायत 3 प्रार्थी को उनके 1/3 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत पैदा करते हैं जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है । प्रार्थी के 1/3 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण व्यवधान पैदा कर रहे हैं और रिकॉर्ड में दर्ज भूमि के आधार पर उक्त भूमि को रहन, बेचान करने पर अमादा हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण ताफैसला वाद ग्राम

कचोलिया तहसील दीगोद की आराजी व ग्राम तोरण तहसील दीगोद की आराजी में से रामसुख जी के 1/3 हिस्से की भूमि से प्रार्थी को बेदखल नहीं करें और न ही उक्त 1/3 हिस्से की भूमि को अथवा उसके भाग को किसी प्रकार से रहन, बेचान नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थी कम 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.02.2018 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2018 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । उक्त भूमि अपीलान्ट के दादा गणेश जी के नाम दर्ज थी और उनकी मृत्यु के उनके तीनों पुत्र हीरा, धन्ना व रामसुख के नाम दर्ज की गई । रामसुख के कोई संतान नहीं होने से रामसुख ने अपने भाई के लडके प्रार्थी अपीलान्ट को अपना वारिस बनाया । अपीलान्ट ने ही रामसुख जी की सेवा–सुश्रूषा की और उनकी मृत्यु के उनके हिस्से की आराजी पर अपीलान्ट काबिज काश्त चला आ रहा है । अपीलान्ट के कथनों का रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.02.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है ग्राम कचोलिया तहसील दीगोद की वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के दादा गणेश जी के नाम दर्ज थी उनके स्वर्गवास के पश्चात् उनके तीनों पुत्र हीरा, धन्ना तथा रामसुख्या के नाम दर्ज की गई । रामसुख के कोई संतान नहीं होने पर रामसुख के भाई धन्ना के लडके अपीलान्ट को अपना वारिस बनाया और पुत्र के रूप में पालन–पोषण किया और अपीलान्ट ने रामसुख की सेवा की है । उनका कियाकर्म भी अपीलान्ट ने किया है । त्रुटिपूर्ण रूप से रामसुख का नाम खारिज किया गया है । रामसुख के हिस्से की आराजी पर अपीलान्ट काबिज है । अपीलान्ट ने हक घोषणा का दावा पेश किया हुआ है । यदि रेस्पोडेन्टगण ने वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द कर दिया तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन अपीलान्ट के पक्ष में है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.02.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि रामसुख लाऔलाद फौत हुआ था उनके हिस्से की आराजी उनके भाई रामविलास एवं धन्ना लाल को मिली है । लक्ष्मीचन्द का इसमें कोई अधिकार नहीं है । धन्ना लाल की मृत्यु के बाद उनके वारिस के रूप में प्रार्थी का नाम धन्ना लाल की आराजी में दर्ज है । अपीलान्ट धन्ना लाल का पुत्र है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.02.2018 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट के द्वारा एक दावा हक घोषणा का पेश कर धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है । प्रार्थना पत्र के समर्थन में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 नया खाता संख्या 115 में ग्राम कचोलिया की आराजी कुल 02 किता की रकबा 1.98 हैक्टर रामविलास पुत्र हीरा, रामप्यारी, ललिता पुत्रियॉ हीरा हिस्सा 1/2, छीतरलाल, लक्ष्मीचन्द, रमेश चन्द पुत्र धन्ना, नट्टी, रूकमणी, शान्ति पुत्रियॉ धन्ना हिस्सा 1/2 दर्ज हैं । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2071–73 नया संख्या 50 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम तोरण की कुल 03 किता की रकबा 2.46 हैक्टर आराजी छीतर, लक्ष्मीचन्द हिस्सा 1/6, रामविलास पुत्र हीरा व रामप्यारी, ललिता पुत्रियॉ हीरा हिस्सा 1/2, ज्योति बाई पत्नी रमेशचन्द हिस्सा 1/3 दर्ज हैं । मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रतियॉ भी संलग्न हैं । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2043–2062 संलग्न जिसके अनुसार ग्राम कचोलिया की कुल 02 किता की रकबा 1.98 हैक्टर आराजी धन्ना, हीरा पुत्र गणेश के संयुक्त खाते में दर्ज है ।

11. प्रार्थी अपीलान्ट का यह कथन है कि वो रामसुख का वारिस है इस कारण रामसुख का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है जबकि रेस्पोडेन्टगण का यह कथन है कि रामसुख जो कि धन्ना और हीरा का भाई था और वह लाऔलाद फौत हो गया था और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उसकी आराजी उनके भाईयों को प्राप्त हो चुकी है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी में धन्ना के वारिस के रूप में सहखातेदार दर्ज हैं और उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया, है जिसके अनुसार वो प्रथमदृष्टया रामसुख का गोदपुत्र अथवा वारिस प्रमाणित होते हों । तद्नुसार प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति उनके पक्ष में तय नहीं पायी जाती है । वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते की है और संयुक्त खाते की आराजी में एक सहखातेदार के पक्ष में दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध इन परिस्थितियों में हम कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं समझते हैं । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.02.2018 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12.10.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा